भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1175
दिनांक 10 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

पशुपालन में एंटीबायोटिक उपयोग और अवशेष निगरानी

1175 श्रीमती सुधा मूर्तिः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पशुधन क्षेत्र, जिसमें जलकृषि, मुर्गीपालन, डेयरी और सूअरपालन शामिल हैं, में एंटीबायोटिक दवाओं और वृद्धि प्रवर्तकों के उपयोग को नियंत्रित करने वाले वर्तमान विनियम क्या हैं;

(ख) इन पशु क्षेत्रों से प्राप्त उत्पादों में एंटीबायोटिक अवशेषों की निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय अपनाए गए हैं; और

(ग) पशुपालन वातावरण में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के विकास को रोकने और उससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

क. एंटीबायोटिक सहित औषधियों के सुरक्षा और गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने के लिए उनके आयात, निर्माण और वितरण को "औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940" तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), भारत सरकार (GOI) ने पशु स्वास्थ्य-विनियामक संबंधी अधिकार प्राप्त समिति (ECAH) का गठन किया है, जो एंटीबायोटिक सहित औषधि और टीकों के आयात तथा विनिर्माण के संबंध में भारत के औषधि महानियंत्रक: ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) को ''नीतिगत इनपुट के लिए पशु टीकों/बायलॉजिकल्स/औषधियों के प्रस्तुतिकरण संबंधी आकलन करने तथा अनुशंसाएं देने" संबंधी उपसमिति है।

ख. इन पशु क्षेत्रों से प्राप्त उत्पादों में एंटीबायोटिक अवशेषों की निगरानी हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय निम्नलिखित हैं-

i. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) देश के 31 केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से मछलियों और पशुधन में रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) के प्रसार की निगरानी करता है। ICAR संस्थान क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाओं के सहयोग से सामान्य (Common) एंटीबायोटिक अवशिष्टों के लिए पशु उत्पादों के यादृच्छिक नमूनों की समय-समय पर जाँच भी करते हैं, ताकि अधिकतम अवशिष्ट सीमा (MRL) तथा न्यूनतम आवश्यक निष्पादन सीमा (MRPL) का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

ii. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने "खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011" अधिसूचित किए हैं, जिनमें पशुधन और जलकृषि उत्पादों के उत्पादन में अन्य पशु-औषधियों के उपयोग पर निषेध लगाने सहित एंटीबायोटिक पदार्थों की सहनशीलता सीमा निर्धारित की गई है।

iii. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) गुणवत्ता और उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए मत्स्य क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है।

ग. पशुपालन परिवेश में एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी जीवाणुओं के विकास को रोकने और नियंत्रित करने हेतु उठाए जा रहे प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं—

I. रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-AMR) लागू है, जो एंटीमाइक्रोबिअल के इष्टतम उपयोग, जन-जागरूकता, प्रशिक्षण, निगरानी व पर्यवेक्षण पर केंद्रित है।

II. पशुधन और पोल्ट्री के लिए "मानक पशु-चिकित्सा उपचार दिशानिर्देश (SVTG)" विकसित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण को सुदृढ़ करते हुए एंटीमाइक्रोबिअल सहित औषधियों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए पशुचिकित्सा देखभाल संबंधी सर्वोत्तम पद्धतियां तैयार करना है।

III. "पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP)" के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अच्छी पशुपालन पद्धतियों, जैव-सुरक्षा तथा स्वच्छता उपाय, पशु-रोगों के लिए टीकाकरण, रोग की निगरानी और क्षमता निर्माण से संबंधित प्रशिक्षण एवं जागरूकता हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे एंटीबायोटिक्स के उपयोग में कमी आती है।

IV. राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के अंतर्गत भारत पशुधन अनुप्रयोग डेयरी पशुओं में सामान्य रोगों (जैसे थनों की सूजन, अपच, दस्त आदि) के प्रबंधन के लिए एथनो-वेटेनरी मेडिसिन (EVM) पद्धति के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है।

V. पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), भारत सरकार (GOI) ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य उत्पादक पशुओं के उपचार में एंटीबायोटिक के विवेकपूर्ण उपयोग, पशु-आहार में एंटीबायोटिक के उपयोग को तत्काल बंद करने तथा सामान्य जन-जागरूकता के लिए परामर्शियां जारी की हैं।

VI. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा किसानों को एंटीबायोटिक के उत्तरदायी उपयोग, व्यक्तिगत साफ-सफाई, तथा वृद्धि प्रोत्साहकों (growth promoters) के रूप में एंटीबायोटिक के जोखिमों के बारे में शिक्षित करने हेतु विस्तार कार्यक्रम (कृषि विज्ञान केंद्र, जनजातीय उप-योजना) संचालित किए जाते हैं।

VII. केंद्रीय जलीय कृषि प्राधिकरण (CAA) झींगा हैचरी और फार्मिंग को विनियमित करता है तथा जलीय कृषि उत्पादों के मिलावट और संदूषण रहित होने से संबंधित अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करता है।
